जा0

2.2

(५१)

संख्या– 8112 / III(2) / 17–43(एम0एल0ए0) / 2017

प्रेषक,

एस0एस0 टोलिया,
संयुक्त सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता,
लोक निर्माण विभाग,
देहरादून।

लोक निर्माण अनुभाग–2 देहरादून : दिनांक 15 नवंबर, 2017

विषयः– वित्तीय वर्ष 2017–18 में राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद पिथौरागढ़ के विधान सभा क्षेत्र–डीडीहाट के अन्तर्गत विभिन्न 02 निर्माण कार्यो हेतु प्रथम चरण की प्रशासकीय एवं वित्तीय तथा व्यय की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मुख्य अभियन्ता(पि0क्षे0), लोक निर्माण विभाग, पिथौरागढ़ द्वारा संलग्न विवरण में उल्लिखित कुल 02 मोटर मार्गों हेतु उपलब्ध कराये गये प्रथम चरण के आगणनों, जिसकी कुल लम्बाई 10.00 किमी0 + 1 Bridge तथा लागत ₹ 81.28 लाख है, पर विभागीय टी0ए0सी0 द्वारा परीक्षणोपरान्त संस्तुत औचित्यपूर्ण धनराशि ₹ 81.28 लाख (₹ इक्यासी लाख अट्ठाईस हजार मात्र) की प्रशासकीय तथा वित्तीय एवं व्यय की स्वीकृति प्रदान करते हुए, चालू वित्तीय वर्ष 2017–18 में व्यय हेतु प्रति कार्य ₹ 0.10 लाख (₹ दस हजार मात्र) अर्थात कुल 02 कार्यों हेतु ₹ 0.20 लाख (₹ बीस हजार मात्र) की धनराशि आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल निम्नांकित शर्तों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :–

(i)– उक्त स्वीकृति के आधार पर विभाग द्वारा समस्त प्रक्रियात्मक कार्यों को समयबद्ध रूप से पूर्ण किया जायेगा तदोपरान्त शासनादेश सं0–1764 / III(2) / 10–17(सामान्य) / 2008 दिनांक 17 जून, 2010 की व्यवस्थानुसार विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार कर शासन को वित्तीय स्वीकृति हेतु प्रस्तुत की जायेगी। विस्तृत परियोजना रिपोर्ट पर शासन से अनुमोदन प्राप्त होने के उपरान्त ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

(ii)– आगणन में उल्लिखित दरों का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत / अनुमोदित दरों को जो दरें शैडयूल आफ रेट में स्वीकृत नही हैं, अथवा बाजार भाव से ली गई हो, की स्वीकृति पर नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता का अनुमोदन आवश्यक होगा।

(iii)– कार्य पर उतना ही व्यय किया जाय जितना की स्वीकृत नार्म है, स्वीकृत नार्म से अधिक व्यय कदापि न किया जाय। यदि प्रथम चरण हेतु स्वीकृत की जा रही धनराशि मे बचत हो रही है तो उसका समायोजन विस्तृत आगणन तैयार करते समय किया जायेगा।

(iv)– कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकताएं तकनीकी दृष्टि के मध्य नजर रखते हुए एव लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों / विशिष्टयों के अनुरूप ही कार्यों को सम्पादित कराते समय पालन करना सुनिश्चित करें।

(v)– आगणन में जिन मदो हेतु जो राशि स्वीकृत की गई है व्यय उसी मद में किया जाय, एक मद का दूसरी मद में व्यय कदापि न किया जाय।

(vi)– स्वीकृत किया जाने वाला कार्य उत्तराखण्ड प्रोक्योरमेन्ट रूल्स–2017 एवं उक्त के विषय में समय–समय पर निर्गत समस्त दिशा निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन किया जायेगा। इसके अतिरिक्त बजट मैनुअल के निर्देशों का भी अनुपालन किया जायेगा।

(vii)– मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश सं0–2047 / XIV–219(2006) दिनांक 30–05–2006 द्वारा निर्गत आदेशों का कार्य कराते समय या आगणन गठित करते समय कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(viii) उक्तानुसार स्वीकृत आगणन में एन0पी0वी0, भूमि अधिग्रहण, यूटिलिटी शिफ्टिंग आदि मदों के सम्बन्ध में यथावश्यक व्यय अनुदान सं0–22 लेखाशीर्षक–5054 सड़को तथा सेतुओं पर पूंजीगत

अधिग्रहण–00 –24 वृहत निर्माण कार्य में विभागीय आय–व्ययक में प्राविधानित तथा निवर्तन पर रखी गयी धनराशि से किया जायेगा।

(ix)– स्वीकृत किये जा रहे कार्यों की गुणवत्ता एवं समयबद्धता का सम्पूर्ण दायित्व संबंधित अधिशासी अभियन्ता का होगा।

(x)– वर्तमान में व्यय हेतु अवमुक्त की जा रही धनराशि का व्यय 31–03–2018 तक सुनिश्चित किया जायेगा। यदि स्वीकृत कार्य के सापेक्ष चालू वित्तीय वर्ष में अतिरिक्त धनराशि की आवश्यकता होती है तो उसका व्यय संगत मद में निवर्तन में रखी गई धनराशि से नियमानुसार किया जायेगा।

(xi) यदि स्वीकृत किये जा रहे कार्यों में से कोई कार्य प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजनान्तर्गत स्वीकृत है अथवा प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अन्तर्गत स्वीकृत की जा सकती है, तो ऐसे कार्य की स्वीकृति स्वतः निरस्त समझी जायेगी।

(xii) विषयगत कार्यों हेतु वित्तीय वर्ष 2017–18 में व्यय हेतु स्वीकृत की जा रही धनराशि ₹ 0.20 लाख का बजट आवंटन वित्त अनुभाग–1 के शासनादेश सं0–183/XXVII(1)/2012 दिनांक 28 मार्च, 2012 के अनुक्रम में, लोक निर्माण विभाग के अनुदान सं0–22, के अन्तर्गत अलॉटमेन्ट आई0डी0 संख्या–S1711220090 दिनांक 14 नवंबर, 2017 के द्वारा आपको आवंटित कोड सं0–4227 Chief Engineer PWD में कर दिया गया है।

(2) इस संबंध में होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2017–18 के आय–व्ययक में लोक निर्माण विभाग के अनुदान सं0–22–लेखाशीर्षक–5054 सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय–04 जिला तथा अन्य सड़कें– 337–सड़क निर्माण कार्य–03 राज्य सेक्टर–02 नया निर्माण कार्य–24 वृहत निर्माण कार्य (5054–04–800–03–02 से स्थानान्तरित)के नामे डाला जायेगा।

(3) यह आदेश वित्त अनुभाग–2 के अशासकीय संख्या–508/XXVII/(2)/2017 दिनांक 13 नवंबर, 2017 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(एस0एस0 टोलिया)
संयुक्त सचिव

संख्या– 3112 /III(2)/17–43(एम0एल0ए0)/2017 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. महालेखाकार (लेखा प्रथम), ओबराय मोटर्स बिल्डिंग, माजरा देहरादून।
2. निजी सचिव, सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड सरकार।
3. आयुक्त, कुमाऊं मण्डल, नैनीताल।
4. जिलाधिकारी, पिथौरागढ़।
5. मुख्य अभियन्ता(कि0क्षे0), लो0नि0वि0, पिथौरागढ़।
6. मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, जनपद देहरादून/पिथौरागढ़।
7. निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, उत्तराखण्ड, देहरादून।
8. वित्त अनुभाग–2, उत्तराखण्ड शासन।
9. अधीक्षण अभियन्ता, तृतीय वृत्त, लोक निर्माण विभाग, पिथौरागढ़।
10. अधिशासी अभियन्ता, प्रा0 खण्ड, लोक निर्माण विभाग, डीडीहाट/पिथौरागढ़।
11. गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(जीवन सिंह)
उप सचिव

1879
16/11/17

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित
(1) सहायक अभियन्ता ... लो.नि.वि. डीडीहाट
(2) ... (प्रा0) ...
Attested

16/11/17

सहायक अभियन्ता
... डीडीहाट (पिथौरागढ़)

2.2

शासनादेश संख्या-3112 / III(2)/17-43(एम0एल0ए0)/2017 दिनांक 15 नवंबर, 2017 का संलग्नक

(धनराशि लाख ₹ में)

क सं	कार्य का नाम	लम्बाई (किमी0 में)	विभागीय टी0ए0सी0 द्वारा अनुमोदित लागत	चालू वित्तीय वर्ष में अवमुक्त की जा रही धनराशि।
1	जनपद पिथौरागढ़ के विधान सभा क्षेत्र-डीडीहाट के अन्तर्गत कठपतिया दोबांस मोटर मार्ग के किमी0 2 से बारमा तक मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य। (प्रथम चरण)	3.00	27.57	0.10
2	राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद पिथौरागढ़ के विधान सभा क्षेत्र-डीडीहाट के अन्तर्गत तिलाड़ी से सेरा तक मोटर मार्ग का नवनिर्माण कार्य। (प्रथम चरण)	7.00 + 1 Bridge	53.71	0.10
	कुल	10.00 + 1 Bridge	81.28	0.20

(कुल ₹ बीस हजार मात्र)

Attested copy

सहायक अभियन्ता
प्रा0 ख0 लो0 नि0 वि0
डीडीहाट (पिथौरागढ़)
JE

(जीवन सिंह)
उप सचिव

2.2

प्रतिवेदन

परियोजना का नामः– तिलाड़ी से सेरां तक मोटर मार्ग का नवनिर्माण कार्य। (लम्बाई 6.250 किमी0)

जनपद पिथौरागढ़ तहसील डीडीहाट के अन्तर्गत तिलाड़ी से सेरा मोटर मार्ग की स्वीकृति शा0सं0 3112/III(2)/17–43(एम0एल0ए0)/2017 दिनांक 15.11.2017 द्वारा 7.00 किमी0+01 सेतु हेतु लागत रू0 53.71 लाख की प्रथम चरण की प्राप्त हुई है।

मार्ग का समरेखन चैनेज सं0 0.000 से 0.150 किमी0 तक राज्य भूमि, 0.150 से 0.350 किमी0 तक नाप भूमि, 0.350 से 0.500 किमी0 तक राज्य भूमि, 0.500 से 0.600 किमी0 तक नाप भूमि, 0.600 से 1.000 तक राज्य भूमि, 1.000 से 1.150 तक नाप भूमि, 1.150 से 1.750 तक राज्य भूमि, 1.750 से 1.900 तक नापभूमि, 1.900 से 2.800 तक राज्य भूमि, 2.800 से 3.200 तक नाप भूमि, 3.200 से 3.300 तक राज्य भूमि, 3.300 से 3.750 तक नाप भूमि, 3.750 से 4.250 तक नाप भूमि पड़ती है। सम्पूर्ण भूमि का कुल क्षेत्रफल 5.625 हे0 है। प्रस्तावित मार्ग का भूगर्भीय निरीक्षण दिनांक 24/04/2018 को कर लिया गया है तथा दिनांक 01/03/2019 को याचक विभाग, वन विभाग एवं राजस्व विभाग के अधिकारी/कर्मचारियों द्वारा संयुक्त निरीक्षण भी कर लिया गया है। जिसकी रिपोर्ट प्रस्ताव में संलग्न है।

मार्ग निर्माण हेतु 6.250 किमी0 लम्बाई एवं 9.00 मी0 चौडाई हेतु भूमि मांगी जा रही है। मोटर मार्ग निर्माण तथा मक डिस्पोजल हेतु ली जा रही भूमि का विवरण निम्नवत् है।

(i) रोड निर्माण हेतु ली जा रही राज्य भूमि	–	2.520 हे0
(ii) मक डिस्पोजल हेतु ली जा रही राज्य भूमि	–	0.500 हे0
कुल योग (वन भूमि)	–	**3.020 हे0**
(i) रोड निर्माण हेतु ली जा रही नाप भूमि	–	3.105 हे0
कुल योग (नाप भूमि)	–	**3.105 हे0**

अतः दूरदराज के लोगों को मोटर मार्ग से जोडने के लिए **परियोजना हेतु 3.020 हे0 वनभूमि** जनहित में लो0नि0वि0 डीडीहाट को हस्तान्तरण होना आवश्यक है।

कनिष्ठ अभियन्ता
प्रा0ख0, लो0नि0वि0 डीडीहाट

सहायक अभियन्ता,
प्रा0ख0,लो0नि0वि0 डीडीहाट

अधिशासी अभियन्ता
प्रा0ख0लो0नि0वि0
डीडीहाट

बी0एस0 नेगी
राजस्व उपनिरीक्षक क्षेत्र-चौबाटी
तहसील- डीडीहाट (पिथौरागढ़)

चौबाटी अनु0

वन क्षेत्र अधिकारी
डीडीहाट वन क्षेत्र

उप जिलाधिकारी
डीडीहाट
जिला- पिथौरागढ़